रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 1988/श्रावण 6, 1910
No. 410] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 1988/SRAVANA 6, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1988

सा.का.नि. 819(अ) ––जबकि महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की कार्य-विधि) संशोधन नियमावली, 1987 का प्रारूप भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 353 (अ) दिनांक 9 मार्च, 1988 के अंतर्गत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i), दिनांक 9 मार्च, 1988 में प्रकाशित किया गया था जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (63 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों

से उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि समाप्त होने तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 अप्रैल, 1988 को जनसाधारण को सुलभ करा दी गई थीं;

और जबकि उपर्युक्त अवधि समाप्त होने से पहले कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्

1. (1) इन नियमों को महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की कार्य-विधि) संशोधन नियम, 1988 कहा

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की कार्य-विधि) नियमावली, 1981 में;

(क) नियम 1, उपनियम (3) में शब्दों "टूटीकोरिन और न्यू मंगलूर" के स्थान पर शब्द "टूटीकोरिन, न्यू मंगलूर और न्हावा शेवा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) नियम 2, उप नियम (1) मे शब्दों "प्रत्येक माह में एक बार" के स्थान पर शब्द "तीन माह में एक बार" रखे जाएंगे.

(ग) नियम 8 में "कम से कम तीन दिन पूर्व अथवा कम से कम तीन दिन न्यासियों को सूचित किया गया" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. पीआर-11012/3/87-पीजी]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1988

G.S.R. 819(E) :—Whereas the draft of the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1987, was published, as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), in the Gazette of India, Extra Ordinary, Part. II, Section 3, Sub-section (I), dated 9th March, 1988 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 385 (E), dated the 9th March, 1988, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry

of a period of forty-five days from the date of publication of the said Notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 14th April, 1988;

And whereas No objection and suggestions have been received from the public before expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offiial Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 ;

(a) in rule 1, sub-rule (3), for the words "Tuticorin and New Mangalore", the words "Tuticorin, New Mangalore and Nhava-Sheva" shall be substituted ;

(b) in rule 2, sub-rule (1), for the words "once in every month", the words "once in three months" shall be substituted ;

(c) in rule 8, the words "at least three days in advance, or communicated to the Trustees at least three days" shall be omitted.

[F. No. PR-11012|3|88-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988